

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद महाराजगंज की ग्रामीण पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु 13.02.2023 को जिलाधिकारी महाराजगंज/अध्यक्ष DWSM की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु फेज-3 में चयनित फर्म में 0 स्थविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं०- 37.39 नवोदया कालोनी, रोड नं०-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत 18 नग डी०पी०आर के तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु अनुमोदन का प्रस्ताव:-

जनपद महाराजगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना के निर्माण एवं संचालन/अनुरक्षण (10 वर्ष) हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा फेज-3 हेतु फर्म में 0 स्थविक कोया (जे.वी.) प्लॉट नं० 37-39 नवोदया कालोनी, रोड नं०-2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलंगाना को 652 राजस्व ग्राम आवंटित किये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुमोदनोपरान्त राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए तत्काल डी०पी०आर० तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में जल जीवन मिशन फेज-3 अन्तर्गत 607 राजस्व ग्रामों के 358 नग डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किये जा चुकें हैं।

वर्तमान में फेज-3 अन्तर्गत फर्म में 0 स्थविक कोया (जे.वी.) द्वारा 18 नग डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये जिसमें 20 ग्राम पंचायतों के 37 राजस्व ग्रामों की कुल 129 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 10368 घरों को FHTC प्रदान किया जाना है।

उक्त डी०पी०आर० में से फेज-3 अन्तर्गत 9 नग डी०पी०आर नामतः कुरुहवा खुर्द, लुटहवा, हरैया मौलाही एवं हातावेला हरैया, विशुनपुर अदरौना, बड़हरादेवीचरन, निरनाम पूर्वी, कोईलाडाड, बासपार कोठी एवं परसा उर्फ परसौना, नगवा पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रु० 6400 प्रति व्यक्ति के अन्तर्गत हैं जिसमें 9 ग्राम पंचायतों के 12 राजस्व ग्रामों की कुल 42 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करते हुए कुल 3909 घरों को FHTC प्रदान किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त फेज-3 के 9 नग डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत रु० 6400.00 से अधिक है। बैठक में प्रतिव्यक्ति लागत बढ़ने के विस्तृत आख्या देने के निर्देश दिये गये जिसके अनुपालन में सामान्यतः डी०पी०आर० में संयुक्त रूप से प्रति व्यक्ति लागत में अधिक होने का विवरण निम्नवत है:-

योजना में मूलभूत अवयवों यथा बाउन्ड्रीवाल, गेट, एप्रोचरोड, शिरोपरि जलाशय, पम्प हाउस, नलकूप, सोलर/विद्युत संयोजन की लागत में सामान्यतः आबादी कम होने/बढ़ने पर उपरोक्त अनुपात में कमी/वृद्धि नहीं होती है। यथा 100 किली०/16 मीटर हेतु शिरोपरि जलाशय की लागत रु० 30.69 लाख होती है, जबकि 150 किली०/16 मीटर हेतु शिरोपरि जलाशय की लागत रु० 34.52 लाख होती है जो कि शिरोपरि जलाशय की क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि के उपरान्त भी लागत में 12 प्रतिशत वृद्धि/कमी होती है। इसी प्रकार नलकूप, सोलर/विद्युत संयोजन की लागत में भी वृद्धि/कमी होती है। जबकि बाउन्ड्रीवाल, गेट, पम्प हाउस, एप्रोच रोड की लागत (लगभग रु० 17.00 लाख) स्थिर रहती है।

उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक योजनावार प्रति व्यक्ति लागत बढ़ने का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

1. बेला ग्राम पंचायत पेयजल योजना:- इस योजना में चन्दनपुर ग्राम पंचायत का 1 राजस्व ग्राम नामतः बेला इसके 2 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्य की लागत रु० 141.369 लाख (जी०एस०टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1276 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2020 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 95 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रु० 6998.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रु० 49430.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 95 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

2. बंदा ग्राम पंचायत पेयजल योजना:- इस योजना में हरिरामपुर ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः बंदा व इसके 2 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 153.442 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1334 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2115 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 85 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 7255.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत ₹0 49981.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 85 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
3. बेलौही ग्राम पंचायत पेयजल योजना:- इस योजना में बेलौही ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः बेलौही व इसके 2 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 183.488 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1482 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2336 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 65 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6999.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत ₹0 45413.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 65 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
4. अराजी सरकार उर्फ वैरियहवा पेयजल योजना:- इस योजना में अराजी सरकार उर्फ वैरियहवा ग्राम पंचायत का 1 राजस्व ग्राम नामतः अराजी सरकार उर्फ वैरियहवा व इसके 4 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 165.994 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1461 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2320 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 70 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 7155.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत ₹0 49998.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 70 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
5. बड़हरा वैद्य पेयजल योजना:- इस योजना में बड़हरा वैद्य ग्राम पंचायत के 2 राजस्व ग्राम नामतः बड़हरा वैद्य, हथिया हथसर व इसका 2 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 142.431 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1351 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2136 है, जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 80 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6668.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत ₹0 49976.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 80 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
6. परसाचक गोबरही ग्राम पंचायत पेयजल योजना:- इस योजना में परसाचक गोबरही ग्राम पंचायत के 2 राजस्व ग्राम नामतः परसाचक गोबरही, अमतहां व इसके 3 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 259.683 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 2069 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 3288 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 20 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 7898.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत ₹0 64921.00 है। ग्राम के पुरवों की आबादी दूर-दूर होने व पुरवों के बीच में दूरी अधिक होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई 17.26 किमी0 का कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम में वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक होने एवं ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 20 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

7. **रामनगर ग्राम पंचायत पेयजल योजना:-** इस योजना में रामनगर ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः रामनगर व इसके 21 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 638.649 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 5870 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 9350 है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6830.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत ₹0 49973.00 है। ग्राम के पुरवों की आवादी दूर-दूर होने व पुरवों के बीच में दूरी अधिक होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई 32.20 किमी0 का कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है एवं ग्राम की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार शिरोपरि जलाशय की उचाई गणना के अनुसार 23.00 मीटर प्राप्त हुई है जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम में वितरण प्रणाली की लम्बाई, शिरोपरि जलाशय की उचाई अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
8. **करुआवल पेयजल योजना:-** इस योजना में करुआवल ग्राम पंचायत के 2 राजस्व ग्राम नामतः करुआवल, कडजही व इसका 2 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 186.420 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1422 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2258 है, जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 70 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 8256.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत ₹0 64955.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या लगभग 70 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
9. **झावाकोट पेयजल योजना:-** इस योजना में झावाकोट ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः झावाकोट व इसका 11 पुरवे सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन में कार्यों की लागत ₹0 190.562 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1792 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2846 है, जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 40 प्रतिशत) है। ग्राम में 730.46 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 104.02 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 345.27 वर्ग मीटर खडन्जा, 31.82 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्ट्रिब्यूटिंग व रिस्टेटमेंट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या लगभग 40 प्रतिशत कम होने व रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/सदस्य सचिव जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये 17 नग डी0पी0आर0 विद्युत आधारित व 1 नग डी0पी0आर0 सोलर आधारित है। उक्त डी0पी0आर0 में से फेज-3 अन्तर्गत 9 नग डी0पी0आर0 नामतः कुरहवा खुर्द, लुटहवा, हरैया मौलाही एवं हाताबेला हरैया, विशुनपुर अदरौना, बडहरादेवीचरन, निरनाम पूर्वी, कोईलाडाड, बासपार कोठी एवं परसा उर्फ परसौना, नगवा पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा ₹0 6400.00 प्रति व्यक्ति के अन्तर्गत है। उक्त के अतिरिक्त फेज- 3 के 9 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6400.00 से अधिक है। प्रतिव्यक्ति लागत बढ़ने की योजनावार विस्तृत आख्या उपरोक्तानुसार है एवं डी0पी0एम0यू0 द्वारा समस्त योजनाओं के कार्यस्थलों का निरीक्षण कर आख्या प्रत्येक डी0पी0आर0 में संलग्न की गयी है।

इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 344/W-17/2020-21 दिनांक 04जून,2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार विद्युत से संचालित नलकूप के प्रकरण में 16 घंटे Pumping Hours मानते हुये डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है व वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि हेतु यथा संशोधित निर्देशों के क्रम में अनुमन्य सीमा 80 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत की सीमा के अनुसार डी0पी0आर0 का विरचन किया गया है। उक्त समस्त डी0पी0आर0 में कार्यालय ज्ञाप संख्या 1499/E-46/2021 दिनांक 12 फरवरी, 2021 (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार DI/ HDPE Pipe का प्राविधान किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी0पी0आर0 में लगायी गयी दरें जल निगम की अन्तिम SOR(2019-20) की दरों से लगभग 10-20 % तक अधिक है। दिनांक 12.04.2022 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सम्बन्धित ग्राम पंचायत (ग्राम प्रधान/सचिव) से इस विषय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि इण्डेक्स प्लान के अनुसार ग्राम में कोई भी क्षेत्र पेयजल की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा, अर्थात् शतप्रतिशत वस्तियों को पाइप पेयजल से संतुष्ट करने हेतु सम्मिलित कर लिया गया है।

निर्णय:- अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, महाराजगंज द्वारा फेज-3 अन्तर्गत 20 ग्राम पंचायतों के 37 राजस्व ग्रामों की कुल 129 बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु 18 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से करने हेतु अनुमोदन पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी एवं अवशेष डी0पी0आर0 शीघ्र प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये।


अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
महाराजगंज


जिला विकास अधिकारी
महाराजगंज


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महाराजगंज

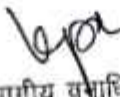

जिला कृषि अधिकारी
महाराजगंज


जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
महाराजगंज


अधिशासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड प्रथम
महाराजगंज


परियोजना निदेशक
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
महाराजगंज


मुख्य अर्थव्यवस्थाधिकारी
महाराजगंज


प्रभागीय वनाधिकारी
महाराजगंज


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष DWSM
महाराजगंज


जिलाधिकारी/अध्यक्ष DWSM
महाराजगंज